पत्रांक–2/एल–52/2012–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

जगदीश कुमार
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पअेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक / /2018

विषय : **डा०(श्रीमती) विजया अम्बष्ठ, फाइलेरिया पदाधिकारी फाईलेरिया नियंत्रण इकाई झंडा चौक डोरंडा झारखण्ड की झारखंड में अंतर्राजीय प्रतिनियुक्ति अवधि के विस्तार के संबंध में**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–1124(2) दिनांक–11.9.2013 के द्वारा डा० (श्रीमती) विजया अम्बष्ठ, एपिडिमिनॉलोजिस्ट राज्य कुष्ठ निवारण कार्यालय की प्रतिनियुक्ति बिहार सेवा संहिता के नियम 267 (वि०) के अधीन वाह्य सेवा शर्त्तों पर आदेश निर्गत की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक प्रतिनियुक्ति करते हुए उनकी सेवा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड राँची की सौंपी गयी थी ।

डा० अम्बष्ठ की प्रतिनियुक्ति अवधि पति–पत्नी तथा उनकी छोटी पुत्री के गम्भीर, बिमारी के आधार पर दिनांक– 11.9.2018 की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

विभगीय पत्रांक–1124(2) दिनांक–11.9.2013 में निहित प्रति नियुक्ति शर्त्तें यथाकत रहेगी।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–2/एल–52/2012– 441(2) पटना, दिनांक 10/4/2018

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड राँची/महालेखकार, झारखंड, राँची/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार/सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : उप निदेशक (मु०) स्वास्थ्य सेवाएँ–सह–राज्य कुष्ठ निवारण कार्यालय महेन्द्रू पटना/डा० (श्रीमती) विजया अम्बष्ठ, फाइलेरिया पदाधिकारी, फाईलेरिया नियंत्रण इकाई झंडा चौक राँची झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/– 10/4/18

विशेष कार्य पदाधिकारी।

D>Sec-2>2018>Letter(L) 20178